Post of Architectural Assistant in PGI, Chandigarh

4680. DR. MURLI MANOHAR JOSHI :
SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 3633 given in the Rajya Sabha on 26th August, 1987 and state :

(a) whether a post of Architectural Assistance has since been sanctioned for PGI, Chandigarh and if so, the date from which it has been sanctioned;

(b) whether any person has been working as Architectural Assistant/Draftsman Grade-III in the PGI Chandigarh, if so, from which date the post has been held;

(c) whether any appointment on ad-hoc basis has been made as Architectural Assistant and whether the claims of other incumbents have been considered before making ad-hoc appointment and whether recruitment rules for the post have been framed; and

(d) whether representations have been made by the (departmental candidate, if so, what decision has been taken on them ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND) : (a) to (d) The Governing Body of the Institute in its meeting held on 17-6-89 has approved the creation of two posts of Architectural Assistants to be filled up on contractural basis in the first instance. The Governing Body again in its meeting held on 22-9-1992 approved the continuance of one post of Architectural Assistant for a further period of three years on contract basis and creation of one post of Architectural Assistant on regular basis. Mrs. Nirmal Kaushal has been working on regular basis as Draftsman Grade-III w.e.f. 14-6-88. The Institute has already initiated recruitment process on the basis of approved recruitment rules for filling up the post of Architectural Assistant and candidature the departmental Candidate, i. e. Draftsman Grade-III was duly considered but she was not found suitable.

जम्मू और कश्मीर के विस्थापितों के लिए एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में स्थानों का आबंटन

4681. **श्री अर्जुन जोंगी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार वर्ष 1992–93 में देश के विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम० बी० बी० एस० के पाठ्यक्रम में जम्मू और कश्मीर के विस्थापित छात्रों के लिए कितने स्थान आबंटित किए गए हैं ;

(ख) केन्द्रीय सरकार की सिफारिश अथवा अनुरोध पर ऐसे कितने छात्रों को प्रवेश दिए गए हैं ; और

(ग) राज्य सरकार के स्वविवेकाधीन कोटे के अन्तर्गत वर्ष 1992–93 में राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) वर्ष 1992–93 के दौरान केन्द्रीय पूल कोटे से जम्मू और कश्मीर राज्य को 28 एम० बी० बी० एस० सीटें आबंटित की गई थीं । इन सीटों के लिए चयन जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा स्वयं किया गया था ।

Bottled Mineral Water

4682. SHRI SOM PAL :
DR. MURLI MANOHAR JOSHI :
SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the answer to U. S. Q. 1105 given in the Rajya Sabha on 2nd March, 1994 and state :

(a) whether any decision has since been taken by Government on the follow up steps on the study report on bottled mineral water which was published by the

Indian Express of 27th December, 1993 under the caption "Tay water is better than bottled";

(b) if so, the details thereof; and

(c) the effective steps taken to protect the consumers and punish the firms engaged in the deceiptful business ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND) : (a) and (b) Government have examined the findings of the Study. The matter was also taken up with the Institute who have since clarified that they had not mentioned that bottled drinking water brands sold in India are unsafe.

(c) Govenrment have initiated action to prescribe specifications for mineral water under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर में नियुक्तियों में कथित अनियमिता

4683. **श्री मूलचन्द मीणा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के जयपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निदेशक तथा अतिरिक्त प्रशासनिक निदेशक द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए नियुक्तियां की गई हैं ; यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या अनियमित नियुक्तियों को रद्द करने के लिए तथा उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाएगी ;

(ग) इस संस्थान के शैक्षणिक तथा प्रशासकीय विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को कब तक भर दिया जाएगा ;

(घ) उप निदेशक के पद को अतिरिक्त निदेशक का पद बनाने के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या अतिरिक्त निदेशक का पद केवल उप निदेशक के पद पर कार्यरत व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए सृजित किया गया है तथा वेतनमान भी गलत तरीके से बदला गया है ;

(च) उपनिदेशक के पद पर नियुक्ति करने के लिए क्या नियम है तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या उपनिदेशक द्वारा की गई वित्तीय तथा प्रशासकीय अनियमितताओं की जांच की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क), (ख) और (छ) : राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में अनियमित नियुक्तियों संबंधी शिकायत की जांच की जा रही है ताकि उपयुक्त कार्रवाई की जा सके ।

(ग) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्त पदों की शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए निर्देश दिया गया है ।

(घ) और (ङ) उप निदेशक के कार्य की जिम्मेवारियों की दृष्टि से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन से उप निदेशक के पद का दर्जा बढ़ा कर 3700–5000 रुपये के वेतनमान में अपर निदेशक का पद बना दिया गया है ।

(च) उप निदेशक के पद पर भर्ती पदोन्नति द्वारा की जा सकती है जिसके न हो सकने पर अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों में से प्रति नियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा की जा सकती है ।